IV 04/2018

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु. 50

FIFTY RUPEES Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

I 56597

बालाजी कालेज

न्यास विलेख (Insrument of Trust)

हम कि रामपलट यादव पुत्र श्री चमरू यादव ग्राम – मशौरा पो० – औड़िहार परगना व तहसील सैदपुर जनपद गाजीपुर का निवासी हूँ। हम मुकीर समाज के आर्थिक सामाजिक संस्कृति एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करता रहता हूँ। तथा हम मुकिर के मन मे मस्तिक मे अपने व्यक्तिगत कार्यो के साथ–साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि समाज मे सुख शान्ती आपसी सद्भाव व विश्वास सदाचार,शिक्षा एव आदर्श नागरिक गुणो की स्वास्थ्य एवं आदर्श गुणो की स्थापना हो। समाज के साधन हीन व्यक्तियो के जीवन की मूलभूत आवश्यकताये भोजन शिक्षा, व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोगारो को उनके योग्यता के अनुरुप तकनीकी व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हे रोजगारो का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास के परस्पर भाई चारा सद्भावीकिा तालमेल बनाये रखने व समाज को शिक्षित करने मे लिंग भेद ,जाति पाति ,छुआ–छुत धर्म एवं सम्प्रदाय , ऊंच–निच की भावना कही से भी बाधक न हो। जनहित के उक्त कार्यो को संचालित करने तथा उससे लोगो के अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओ मे समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न संस्थाओ एव समितियो का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी पूर्ण व्यवस्था के हम मुकिर द्वारा कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की गयीहै। हम मुकिर अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनो की व्यवस्था के बावत 5,000/00–रुपया (पाँच हजार) का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है । जिसकी स्थापना निम्न रुपेण की जायेगी।

Scanned with CamScanner

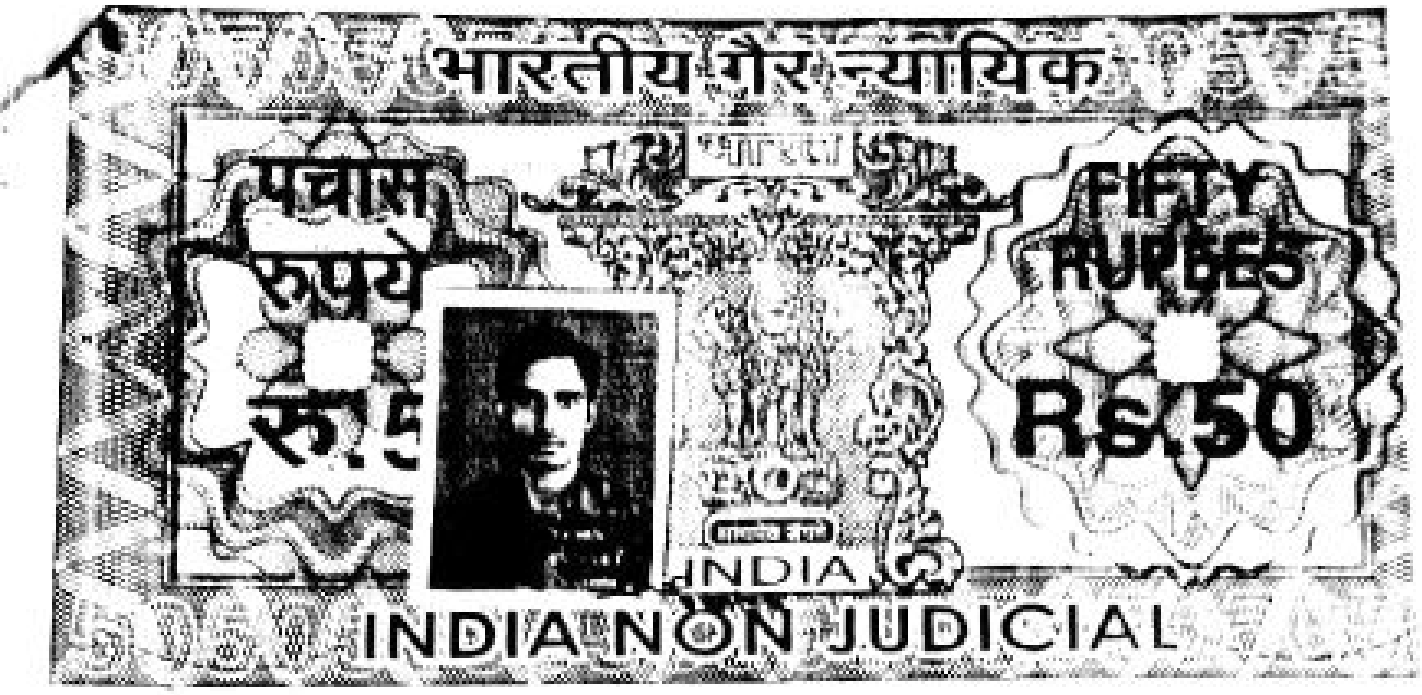

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 56597

1. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम "बालाजी कालेज " होगा जिसे इस न्यास पत्र मे आगे "न्यास" अथवा "ट्रस्ट शब्द से सम्बोधित किया जायेगा।

2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त न्यास का कार्यालय ग्राम –भमौरा , पो0–औड़िहार , परगना व तह0 सैदपुर ,जिला गाजीपुर में स्थित होगा। उक्त न्यास के कार्य को सुचारु रुप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों के सुगम प्राप्ती के बावत के बावत इसके अन्य कार्यालयो की स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयो के पतो पर न्यास मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं और समितियो का पंजीकरण संसंगत अधिनियमों के अर्न्तगत कराया जा सकेगा।

3. यह कि हम मुकिर न्यास मजकूर के संस्थापक व मुख्य ट्रस्टी होगें तथा न्यास के प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेगें। हम मुकिर द्वारा न्यास के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्न लिखित व्यक्तियो जो न्यास के उद्देश्यो के अनुसार न्यास के हित मे न्यास के रुप में कार्य करने को सक्षम है व न्यास की न्यासी नामित करते है। इस प्रकार नामित व्यक्तियो को न्यास का न्यासी कहा जायेगा। जिनकी कुल संख्या तीन से कम तथा सात से अधिक नही होगी । हम मुकिर द्वारा नामित न्यासी तथा मुख्य न्यासी को संयुक्त रुप से न्यास मण्डल ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। न्यास की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा न्यासी के रुप मे नामित व्यक्तियो का विवरण निम्नलिखित है।

1. रामपलट यादव पुत्र श्री चमरु यादव– ग्राम – भमौरा पो0–औड़िहार ,जिला गाजीपुर
2. श्रीमती सन्दा यादव पत्नी श्री रामपलट यादव – ग्राम – भमौरा पो0–औड़िहार ,जिला गाजीपुर
3. अंकुर कुमार पुत्र श्री रामपलट यादव – ग्राम – भमौरा पो0–औड़िहार ,जिला गाजीपुर
4. अमृता पुत्री श्री रामपलट यादव – ग्राम – भमौरा पो0–औड़िहार ,जिला गाजीपुर
5. शुभम कुमार पुत्र श्री रामपलट यादव – ग्राम – भमौरा पो0–औड़िहार ,जिला गाजीपुर

यह कि हम मुकिर द्वारा "बालाजी कालेज " के नाम से जिस न्यास की स्थापना की जा रही है, उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है–

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [illegible] सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन [illegible] 597 8

2. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना एवं आम जन में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना।
3. नव–युवक, नव–युवतियों व छात्र/छात्राओं को रचनात्मक शिक्षा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक जू०हा० स्कूल, हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालय एवं महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों शिक्षण–प्रशिक्षण महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, सी०बी०एस०ई० बोर्ड (अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय) संस्कृत महाविद्यालय, आई०टी०आई०, पालिटेक्निक कालेज, विश्वविद्यालय की स्थापना एवं उनका संचालन करना।
4. वर्तमान समय में विज्ञान के जन जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना, विज्ञान एवं कंप्यूटर तकनिकी पर आधारित होने के कारण उनसे सम्बन्धित ज्ञान की जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टैक्नोलाजी के माध्यम से उपलब्ध करना।
5. समाज के सामुदायिक विकास का परस्पर भाई–चारा, सम्प्रदायिक तालमेल, राष्ट्रभक्ति राष्ट्रीय एकता, सरकारी सम्पत्ति के प्रति प्रेम, राष्ट्र धरोहर की रक्षा, प्राकृतिक चीजों एवं जीवों की रक्षा प्राकृतिक के पर्यावरण प्रेम, राष्ट्रीय कानून के प्रति वफादारी तथा समाज के प्रति जिम्मेदारी के प्रति जिम्मेदारियों के लिए युवकों एवं महिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।
6. न्यास द्वारा स्थापित महाविद्यालय के प्रचार एवं प्रशिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रतिनिधि विश्वविद्यालयों परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित करायी गयी प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होने तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार होगा।
7. लिंग–भेद, जाति–पाति, छुआ–छूत, धर्म व सम्प्रदाय, ऊंच–नीच की भावनाओं को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण/जागरूकता/सर्वे/लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना।
8. शिक्षा प्रचार/प्रसार/उन्नयन तथा प्रदेश व देश के किसी भी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा/गैर तकनिकी शिक्षा/विधि शिक्षा/शिक्षा प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना।
9. स्थानिय आवश्यकताओं को देखते हुए किड–केयर, नर्सरी, प्राईमरी, माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री एवं पी० जी० कालेज की स्थापना करना तथा आमदनी के स्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना।

अध्यक्ष
बालाजी कालेज
भभौरा, औंड़िहार–गाजीपुर उ०प्र०

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु. 50

FIFTY RUPEES Rs. 50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 565979

10. बी0एड0कालेज बी0पी0एड0, बी0टी0सी0एड0 कालेज, बी0एल0एड0 कालेज नर्सिंग कालेजों, पालिटेक्निक, इन्जीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल कालेज एवं प्रबन्धन कालेज आदि खोलना एवं संचालन करना।
11. संस्था के प्रत्येक योजनाओं में महिलाओं को उनके योग्यता के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, उनके न मिलने की दशा में स्थान पुरुषों द्वारा भरा जा सकता है।
12. अनु0 जाति, अनु0 जन0 जाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के लिए स्वरोजगार योजना का प्रबन्ध करना तथा उनके लिए शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना।
13. युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, स्क्रीन, इलेक्ट्रानिक वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियो एवं टी0वी0 ट्रेनिंग, टाईपिंग, शार्ट हैण्ड, कम्प्यूटर, फाईन आर्ट, संगीत इसके अतिरिक्त फल संरक्षण कुकिंग/बेकरी एवं मशरूम उद्योग प्रशिक्षण एवं डायटिंग प्रशिक्षण आदि जैसे केन्द्रो की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना आवश्यकतानुसार उनके लिए प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय अध्ययन कक्ष छात्रावास, भोजन, वस्त्र दवा,यातायात खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।
14. खाद्य प्रसंसकरण जैसे जैम,जैली,मुरब्बा,अचार,कन्चप तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।
15. युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के लिए अन्य उपयोगी पगशिक्षण जैसे हैण्डीक्राफ्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग कला, निबन्ध व्याख्यान तथा खेल कूद आदि का आयोजन, प्रतयोगिता तथा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी संस्था का उद्देश्य है।
16. युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेनिंग उद्देश्य है।
17. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं क्रियान्वित करना जैसे गूंगे, बहरे, अन्धे, अपंग एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चो युवाओं एवं अनुसुचित जाति/अनु0 जनजाति/पिछड़े वर्ग/गरीब बच्चो निराश्रित, अनाथ बच्चों

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 565980

एवं युवतों के लिए विद्यालय छात्रावास एवं भोजन वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्म निर्भर बनाना बिना लाभ हानि के अन्य छात्रावासों का निर्माण व उनकी समुचित व्यवस्था करना।

18. वृद्धों के लिए विश्राम केन्द्र अथवा पुर्नवास केन्द्र की स्थापना करना जिसमें मनोरंजन ,पढ़ने लिखने व उन्हें खेलने की पूर्ण सुविधा व स्वतंत्रता हो।

19. महिला संरक्षण गृह/विधवा पुर्नवास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हें सरकारी सहायता देना।

20. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बारात घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय,चिकित्सालय, पुस्तकालय, योगा प्रशिक्षण केन्द्र, आँगनबाड़ी वाड़ी बालवाड़ी, ड्रामा स्टेज प्रशिक्षण एवं अन्य प्रशिक्षण की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।

21. सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राईवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिकः महत्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर लगाना, वृक्षारोपण , औषधियों एवंज की बुटियों वाले पौधों का उत्पादन (मेडिसिनल प्लांट) (सौन्दर्य उपयोगी पौधे)(फ्लोरी कल्चर) सुगन्ध हेतु अन्य पौधों या अन्य आर्थिक महत्व वाले पौधों का रोपड़ करना। सुरक्षा एवं संरक्षा की दृष्टि से विलुप्त पौधों की खेती करना।

22. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमो कापालन करते हुए उससे सम्बन्धित समस्त जनहित योजनाओं को लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिए बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता एवं अनुदान को स्वतः रोजगार हेतु जन–जन पहुंचाना।

23. राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेष-कर-संवेदनशील तथा अति संवेदनशील राज्यो के लोगो में राष्ट्रय एकता एवं समपर्ण की भावना का विकास करना।

24. संस्था को उद्देश्य की पूर्ति के लिए-भूमि मकान तथा वाहनो को खरीदना बेचना उन्हें किराये पर या लीज पर लेन–देन करना मार्गेज करना या मकान बनवाना बेचना आदि।

25. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमो हेतु अत्याधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सके जैसे युनिसेफ, आई०सी०डी०एस०, नेहरु युवा केन्द्र समाजकल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणो का आयोजन करना।

रामप्रताप यादव

अध्यक्ष
बालाजी कालेज
भभौरा, औड़िहार-गाजीपुर उ०प्र०

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु. 50

FIFTY RUPEES Rs 50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BN 565981

... को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेकरी उद्योग, रेशम उद्योग,मधुमक्खी पालन, पशु पालन ,बतख पालन तथा इनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी रोकथाम , टीकाकरण के लिए युवाओं को प्रेरित/जागरुक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न करना

27. बीड़ी, सिगरेट,तम्बाकू ,पान मसाला, गांजा–भांग,स्मैक ,एल०एस०डी० या किसी अन्य प्रकार के नशा का सेवन करने वाले लोगो को उनसे होने वाले बिमारियों के प्रति सतर्क करना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिए नशा मुक्त निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।

28. समाज की व्याप्त बुराइयों जैसे अन्धविश्वास, बालविवाह ,बाल शोषण ,बालश्रम, महिला शोषण,लिंग–भेद, अस्पृश्यता जाति–पाति एवं छुआ–छुत की भावना एवं क्षैतिक भावना के ह्रास को दूर करनातथा इसके लिए जागरुकता/प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

29. महिलाओ से सम्बन्धित यौन प्रहार आक्रमण/यौन प्रताड़ना, युवतियों की खरीद फरोख्त, परिवार हिंसा,महिला अथवा विधवा उत्पीड़न आदि से मुक्ति दिलाना। इसके लिए युवको को प्रशिक्षित एवं जागरुक करना अथवा आवश्यकतानुसार महिला उत्पीड़न मैत्रि केन्द्र की स्थापना करना।

30. सामुहिक विवाह तथा सामुहिक भोज को बढ़ावा देना, विभिन्न त्यौहारों जैसे होली,दीपावाली ,दशहरा, मोहर्रम , ईद बकरीद अथवा समारोह जैसे शादि, गवना, सालगिराह, जन्मदिन पर होने वाले भोजन तथा अन्न के अपव्यय की रोकथाम हेतु उन्हे प्रशिक्षित करना।

31. विभिन्न प्रकार के खेल जैसे योगा जिम्नास्टिक, जूडो–कराटे, कबड्डी, तथा अन्य शहरी एवं पारम्परिक खेलो को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षित तथा प्रतियोगिता करना। इसके लिए संस्था द्वारा सरकारी अनुदान के लिए प्रयास करना।

32. विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं की सहायता से बाल शिक्षा ,बालस्वास्थ्य एवं टीकाकरण जागरुकता/प्रशिक्षण/कैम्प सहायता एवं हैण्ड पाइप की व्यवस्था करना

33. परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण परिवार नियोजन टीकाकरण क्षेत्र में जागरुकता/प्रशिक्षण दवा /किट वितरण एवं प्रयोग की सुविधा के साथ साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना करना तथा रक्तदान शिविर का आयोजना करना।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 565982

34. एड्स,कैंसर ,टी.बी., कोढ़, मलेरिया , पोलियो , हैपेटाइटिस जैसे रोगो की जानकारी / रोकथाम / नियंत्रण / जागरूकता / उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जन सामान्य के लाभहेतु डेन्टल कालेज,मेडिकल कालेज एवं अन्य चिकित्सकी / पैरामेडिकल महाविद्यालयो तथा प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना करना।

35. ग्रामीण शहरी क्षेत्रो में भिखारियों,झुग्गी–झोपड़ी एवं मलीन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियो को आवास,भोजन,पेय जल स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं सामाजि चेतना के प्रति जागरूक करना तथा उन्हे बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना।

36. सरकारी क्रमों जैसे ,कूड़ा एवं सूड़ा को संचालित करना

37. सरकार की सहायता से गांवो एवं शहरों के विकास हेतु पेय जल, शौचालय–नाली,सड़क निर्माण ,खड़न्जा ,पिच,पार्क,शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनो द्वारा प्राप्त अल्प लागत से आवास बनाकर गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियो को उपलब्ध कराना।

38. कृषि उद्योग को बढ़वा देने के लिए नय नये वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग कराना तथा नये नये शोधित बीजों को उगाने तथा उनसे सम्बन्धित बीमारियो की जानकारी देने अथवा दवा सुरक्षा के लिए आम लोगो तथा किसानो का शिविर लगाकर उन्हे प्रेरित / जागरूक एवं प्रशिक्षित करना साथ ही खाद्य उत्पाद का उन्हे उचित मूल्य दिलाना तिलहन, दलहन तथा कृषि बागवानी बोर्ड के विकास हेतु नये वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार प्रसार करना तथा स्थायी कृषि कार्यक्रमो द्वारा कृषि कृषको को प्रशिक्षित एवं लाभान्वित करना।

39. वर्मी कम्पोस्ट एवं साग सब्जी उद्योगो को बढ़ावा देना तथा भूमि को रासायनिक उर्वरक से होने वाले हानि से लोगो से अवगत कराना।

40. बन्जर एवं ऊसर भूमि गैर पारम्परिक उर्जा स्रोत, वातावरणीय संरक्षण,जल एवं अन्य प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण को विकसित करने के लिए विभिन योजनायोंको लागू करना।

41. जल, वायु,मृदा एवं ध्वनि प्रदूषण की जानकारी / नियंत्रण / उनसे होने वाली बिमारियो के बारे में युवको को जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के लिए रचनात्मक दिशा में कारगर कदम उठाना।

42. प्राकृतिक आपदा जैसे–हैजा,प्लेग ,भुखमरी, बाढ़, आग , सूखा, अकाल, चक्रवात, भूकम्प ,दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगो की सहायता करना तथा प्रभावित भावी व्यक्तियो एवं पशुओ का सर्वेक्षण एवं पहचान करना तथा उन्हे सहायता प्रदान करना सम्मिलित है ऐसी दशामें लोगो को बचाव एवं भावी रणनिति के लिए

अध्यक्ष

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

सत्यमेव जयते

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 565983

सहयोग/जागरूकता प्रशिक्षित करना इसके लिए लोगो/संस्था तथा कंपनियों आदि से आर्थिक सहयोग भी लिया जा सकता है। इसमें शासन एवं प्रशासन का सहयोग भी शामिल है

43. लावारिस असहाय पशुओं एवं बीमार जानवरों विशेषकर कुत्तों एवं देखभाल के साथ-साथ समुचित संरक्षण तथा उनके पोषण निःशुल्क दवा व अस्पताल की व्यवस्था करना /नो वंशीय जीवों को सुरक्षा एवं पालन हेतु पशुशाला तथा गौशाला की व्यवस्था करना प्रतिबन्धित पशुओं के अवैध हत्या को रोकने तथा पशुओं के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए पशु मेला का आयोजन करना।

44. तत्काल सुविधा पहुचाने हेतु सड़क/ट्रेन/बस/दुर्घटना जख्मी व्यक्तियों , गर्भवती महिलाओं,बीमार ,असहाय,वृद्ध व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक पहुचाने के लिए अथवा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाने के लिए मोबाईल इमरजेन्सी एम्बुलेंस/बैंक की व्यवस्था करना।

45. उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित हैतथा जिनको विभागों व एन०जी० ओ० के माध्यम से चलाया जा रहा है।

46. पंचायती राज्य एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान एवं कानूनी जागरूकता के लिए काउन्सलिंग केन्द्रो की स्थापना एवं प्रबन्धन करना ताकि महिलाओं तथा समाज के गरीब एवं पिछड़े लोगो को कानूनी सहायता की जा सकें ।

47. गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सकीय सुविधा अथवा सहायता के लिए उपाय करना।

48. किसी एन० जी० ओ० द्वारा किये गये कार्यों को भी न्यास के माध्यम से सम्पादित किया जा सकेगा।

49. सरकारी अथवा संस्था के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वे कार्य, डाटा , कलेक्शन , जागरूकता तथा प्रशिक्षण हेतु किसी प्रकार का किट, पोस्टर, बैनर , श्रव्य, दृश्य कैसेट ,कठपुतली, सामग्री, डाक्यूमेन्ट्री एवं नुक्कड़-नाटक आदि तैयार करना जो विभिन्न कार्यक्रमों अथवा क्षेत्रों में उपयुक्त होता है, जिससे न्यास के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

50. किसी अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी तन्त्र अथवा एन०जी०ओ० एसोसिएशन न्यास को आर्थिक सहायता देना उनके क्रिया कलापो में सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस संस्था में मिलते हो।

रामप्रताप यादव

[redacted]

अध्यक्ष

बालाजी कालेज

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

51 गैर सरकारी तथा गैर सरकारी / लोगो / संस्थाओं / मित्रो / कम्पनी / दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर संस्था के [illegible] प्रकार डोनेशन,ग्रान्ट, गिफ्ट, चल एवं अचल सम्पत्ति सम्मिलित

BN 565984

52. विभिन्न पंजीकृत संस्थाओं को संगठित करना तथा उन्हे विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना या आर्थिक सहायता पहुचाना।

53. संस्था उद्देश्य की प्राप्ती के लिए इसके शाखा या इसके क्रियाकलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला / प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।

54. सरकारी , अर्द्धसरकारी अथवा गैर सरकारी बैंको से संस्था के उद्देश्यों के पूर्ति के लिये ऋण या सहायता प्राप्त करना।

6. न्यास मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य–

1. समान उद्देश्यों की अन्य संस्थाओं व न्यासो से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
2. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इनके विभिन्न इकाईयों को सुचारु व्यवस्था के अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों एवं उपसमितियों का गठन करना।
3. न्यास के अधिन संस्थाओं व समितियों को सुचारु रुप से संचालन के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उपनियमो को बनाना।
4. न्यास के अधिन स्थापित संस्थाओ व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्राविधानों को लिखित रुप में तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्कदान , चन्दा इत्यादि करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाईयां गठित करना।
5. न्यास के अधिन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने व उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।
6. न्यास के सम्पत्ति की देखभाल करना तथा न्यास के सम्पत्ति के बढ़ावा के लिए सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर न्यास के सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उनकी व्यवस्था करना।

रामचन्द्र आ.स.

अदाय

जी कलेज

अधिकार–गाजीपुर उ0प्र0

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 565985

7. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति होने तथा किन्ही आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।

8. न्यास के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रो, चिकित्सालयों, शोधकेन्द्रो, गौशालाओं व अन्य समस्त समितियो के लिए आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियो के लिए आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यो को करना।

9. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के हित मे व्यक्तियो, संस्थाओं , सरकारी अर्द्धसरकारी, गैरसरकारी विभागों में दान,उपहार, अनुदान, व अन्य स्रोतो से धन व सम्पत्तियां को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से न्यास के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए खर्च करना।

10. न्यास के उद्देश्यो के पूर्ति के लिए न्यास मण्डल द्वारा संकल्पित समस्त कार्यो को करना।

11. उत्तर प्रदेश राज्य विश्व विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित शर्तो को पूर्ण कर स्नातक व परास्नातक स्तर पर शैक्षिक व व्यावसायिक पाठ्यक्रम का संचालन करना और इस आवश्यकता हेतु स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयो की स्थापना करना इस प्रकार स्थापित शैक्षिक संस्थाओं को सुचारु प्रबन्ध व्यवस्था हेतु निर्धारित शर्तो का पालन करते हुए प्रशासन योजना का तैयार कर सक्षम प्राधिकारी /कुलपति से स्वीकृति प्राप्त करना।

8. न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था

(क) न्यास का गठन एवं संचालन– न्यास का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा–

1. न्यास के मुख्य न्यासी एवं प्रबन्ध हम मुकिर होगें और न्यास के मुख्य न्यासी को अपने जीवनकाल में अगले मुख्य न्यासी को शामिल करने का अधिकार होगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य न्यासी की मृत्यु हो जाये तो न्यास के शेष न्यासियो को मुख्य न्यासी के विधिक उत्तराधिकारी पत्नी व पुत्रो मे योग्य व्यक्ति को बहुमत के आधार पर न्यास का मुख्य न्यासी चयनित करने का अधिकार होगा। परन्तु मुख्य न्यासी की नियुक्ति न्यास मण्डल के शेष सदस्यो द्वारा उनकी योग्यता एवं न्यास हित में कार्य करने की क्षमता को देखते हुए की जायेगी।

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 565986

2. मुख्य न्यासी की अनुपस्थिति ,बीमार या कार्य करने की असमर्थता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य न्यासी के रुप में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा।

3. न्यास मण्डल के सदस्यों में से न्यासीगण को न्यास के सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था के लिए न्यास के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के रुप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किये गये न्यासियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा। न्यास के उक्त पदाधिकारियों का निर्वाचन न्यास मण्डल द्वारा अपने से बहुमत के आधार पर किया जायेगा।न्यास के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी यदि किन्ही परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सम्भव नही हो सका तो पदाधिकारी का निर्वाचन मुख्य न्यासी की देख रेख में कराया जाए सकेगा।और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किये जाने पर मुख्य न्यासी का निर्णय सभी न्यासियों के मान्य एवं अन्तिम होगा।

4. न्यास मण्डल के किसी भी न्यासी अथवा मुख्य न्यासी के त्याग–पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा लेकिन न्यास मण्डल में इस प्रकार की कोई रिक्त होने पर न्यास मण्डल के पदाधिकारियों के अगले निर्वाचन के पूर्व उसकी पूर्ति सम्बन्धी न्यासी के विधिक उत्तराधिकारियों में से की जायेगी यदि किसी न्यासी के एक से अधिक उत्तराधिकारी है तो उनमें से योग्य एवं न्यासी के प्रति हितैषी भाव रखने वाले पदाधिकारी को न्यास में उत्तराधिकारी के न्यासी के रुप में सम्मिलित होने से इनकार करने की स्थिति में मृतक न्यासी के वंशावली के दूसरे सदस्य के नाम पर विचार किया जायेगा। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य न्यासी अन्य न्यासियों के रिक्त स्थान की पूर्ति के सम्बन्ध के उक्त रुप में दिये गये उपबन्धो के द्वारा न्यास मण्डल के सदस्यों का अपने मृत्यु के उपरान्त लिखित रुप से उत्तराधिकारी न्यासी नियुक्त करने का अधिकार बाधित नही होगा।

5 न्यास मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा न्यास के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने की अथवा न्यास के हितो के विपरीत आचरण करने की दशा में न्यास मण्डल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से न्यास पृथक कर दिया जायेगा। और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्राविधानो के अनुसार सुयोग्य एवं न्यास मण्डल के न्यासी के रुप में संयोजित कर लिया जायेगा।यदि कोई हितैषी व्यक्ति को न्यासी उक्त प्रकार के न्यास से पृथक नही किया जाता है तो उसे न्यास मण्डल के सदस्य के रुप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 — भारत — सत्यमेव जयते — INDIA — FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 565987

6. न्यास द्वारा संचालित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर के कर्मचारी के प्रतिनिधि विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों को प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

7. न्यास मण्डल का कोई भी न्यासी कभी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन–देन करता है तो न्यास का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, बल्कि सम्बन्धित न्यासी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

(ख) <u>न्यास की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन</u>–

1. न्यास मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक आवश्यक होगी। उक्त वार्षिक बैठक में न्यास के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव एवं प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य न्यासी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक से अनुपस्थित व बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य न्यासी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक तक अनुपस्थित हो सकता है।

2. वार्षिक बैठक में न्यास के वर्ष भर के क्रियाकलापों पर विचार होगा और आय–व्यय पर विचार कर न्यास का बजट निर्धारण किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर न्यास मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

7. <u>मुख्य न्यासी/न्यास प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य :</u>

0 इस न्यास के मुख्य प्रबन्धक के रूप में कार्य करने तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं एवं विद्यालयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।

0 न्यास से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशि को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।

0 न्यास की समस्त कार्यवाही लिखना/लिखवाना व अन्य अभिलेखों को तैयार करवाना।

0 न्यास की बैठक को आमन्त्रित करना तथा उसकी सूचना न्यास मण्डल के सदस्यों को देना।

अध्यक्ष
[illegible] कालेज
[illegible], गाजीपुर उ०प्र०

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BN 565988

0. न्यास की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा न्यास के आय-व्यय का हिसाब-किताब तथा रिर्पोट न्यास मण्डल के समक्ष रखना ।

0. न्यास के ओर से न्यास की समस्त चल अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से संबंधित विलेखो को-हस्ताक्षरित करना

0. न्यास तथा न्यास के विरूद्ध विधिक कार्यवाहियों की न्यास की ओर से पैरवी करना तथा उसके लिए अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना ।

0. इस न्यास विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारियों का प्रयोग करना तथ न्यास की मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष न्यासियों के सहयोग से न्यास के हित मे अन्य समस्त कार्यो को करना ।

0. न्यास के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना

0. न्यास का आय व्यय का रिर्पोट तथा न्यास मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से न्यास के आय- व्यय का लेखा परीक्षण करना

0. न्यास के वित्त संबंधी लेखों का सुचारू रूप से रखरखाव करना

8 <u>न्यास के कोष की व्यवस्था</u>

1. न्यास के कोष को सुचारू रूप से रख- रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीय कृत/मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक मे ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा।

2. ट्रस्ट के अर्न्तगत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय,संस्थान केन्द/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला या संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं या ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अर्न्तगत खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है।

9. <u>न्यास के अभिलेख</u>

न्यास के अभिलेखों को तैयार करने / कराने व रखरखाव का दायित्व मुख्य न्यासी का होगा । मुख्य न्यासी द्वारा प्रमुख रूप से न्यास के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखे का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा ।

10. <u>न्यास के सम्पत्ति की व्यवस्था</u>

न्यास के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जायेगी।

अध्यक्ष

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 565989

0. यह कि न्यास मण्डल द्वारा न्यास के उद्देश्यो की प्राप्ती हेतु व्यक्तियो, वित्तिय संस्थाओ व बैंको से दान, सहायता,ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित वैज्ञानिक माध्यम से न्यास की आय बढाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध से न्यास की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिए मुख्य न्यासी व एक अन्य न्यासी जिसे कि मुख्य न्यासी सतिथ सगझे अधिकृत होगें।

0. यहकि मुख्य न्यासी न्यास की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन का क्रय एवं विक्रय कर सकेगें या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेगें। न्यास मण्डल की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराये पर दे सकेगा या बेच सकेगा।

0. यह कि न्यास की सम्पत्ति को क्षति पहुचाने या दुरुपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार न्यास मण्डल को प्राप्त होगा। न्यास और उसके अधिन संस्थाओ एवं समितियो के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध मुख्य न्यासी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील न्यास मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।

0. न्यास द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबन्ध की विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में न्यास मण्डल का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा। परन्तु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा नही हो सका तो विवाद को लम्बी रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था न्यास में निहित रहेगी।

0. न्यास की आय–व्यय व लेखा के परीक्षा हेतु मुख्य न्यासी द्वारा परीक्षा की नियुक्ति की जा सकेगी।

0. न्यास द्वारा या न्यास के विरुद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन न्यास के नाम से किया जायेगा जिसकी पैरवी न्यास की ओर से मुख्य न्यासी द्वारा अथवा मुख्य न्यासी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत न्यासी द्वारा की जायेगी।

0. न्यास के अधिन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारी की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तो एवं सेवा पुस्तिका एवं विवरण भी न्यास मण्डल के अधिन होगा। न्यास मण्डल बहुमत से स्वयं उनके कार्यो को करेगा अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस कार्य हेतु नियुक्त करेगा इसके अतिरिक्त न्यास मण्डल अपने सम्पत्तियों के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्यो हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा।

M149

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु. 50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 565990

[illegible] के लिए वह सभी कार्य करेगा जो न्यास के हितो के लिए आवश्यक हो न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो ।

8. न्यास के प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति न्यास की उद्देश्यों की प्राप्ती एवं पूर्ति के लिए प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में न्यास द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बावत भी यह शर्त लागू होगें।

घोषणा पत्र

"बालाजी कालेज " की तरफ से हम रामपलट यादव , मुख्य न्यासी के रुप मे हम घोषित करते है कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखकर पढ़ व समझकर स्वस्थ मन व चित से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच समझकर इस न्यास पत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है। जिससे कि न्यास का विधिवत गठन हो सके ।

हस्ताक्षर साक्षीगण

रामपलट यादव
हस्ताक्षर मुख्य न्यासी

1 राजीव कुमार S/o राजेन्द्र प्रजापति
वार्ड नं 5 सैदपुर गाजीपुर

2 शैलेश यादव S/o जंगबहादुर यादव
ग्राम व पोस्ट - दौलतपुर , प० सैदपुर
जिला - गाजीपुर

(मसविदाकर्ता)
सुरेशराम अ० न० सैदपुर

दिनांक

रामपलट यादव

Scanned with CamScanner

ही संख्या 4 जिल्द संख्या 35 के पृष्ठ 345 से
374 तक क्रमांक 4 पर दिनांक 16/01/2018 को
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

वरिष्ठ कोषाधिकारी

★ ★ 08 JAN 2018 ★ ★

गाजीपुर

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 35 के पृष्ठ 345 से
374 तक क्रमांक 4 पर दिनांक 16/01/2018 को
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पद्मा सिंह
उप निबंधक : सैदपुर
गाजीपुर

उप निबन्धक, सैदपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश

सिंह
उप निबंधक : सैदपुर

Scanned with CamScanner